वित्त निर्देश- 20/2015

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन- नया रायपुर

क्रमांक 184/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार   नया रायपुर, दिनांक 11 जून, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-राज्य शासन के कर्मचारियों का छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्हीं कारणों से नहीं हुआ है, को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 25/एफ 2013-04-00188/वित्त/नियम/चार, दिनांक 6.2.2015 द्वारा दिनांक 01.07.2014 से 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था । शासन द्वारा इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है -

अवधि जब से देय है	**महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत**
दिनांक 01-01-2015	223 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।
2. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा।
4. महंगाई भत्ते की गणना के लिए वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतन 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन तथा ज्ञापन दिनांक 19.01.2007 के अंतर्गत परिगणित महंगाई वेतन से है।
5. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितिकरण वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा । ।
6. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।

7. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/06/2015

(एस.के.चकवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां. क. 185/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 11 जून, 2015

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ०ग०) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11.6.15

(एन.के. साकी)
अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग